



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर
सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 दिनांक 27.07.2025 (रविवार)
साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची

विज्ञापित क्र.-8227...../34/2025/अनु.-10

इंदौर दिनांक :- 01/09/2025

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

01/ विज्ञापन क्रमांक-32/2024/30.12.2024, ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 26.03.2025।

(1)	शुद्धि पत्र क्रमांक-01/17-44/2024 दिनांक 26.03.2025 (सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के विभिन्न विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि की सूचना)।
(2)	शुद्धि पत्र क्रमांक-02/17-44/2024 दिनांक 17.04.2025 सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा-2024 के आयोजन की सूचना विषयक)।

02/ उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 जिला मुख्यालय इंदौर के केन्द्रों पर दिनांक 27.07.2025 (रविवार) को दो सत्रों में प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सांख्यिकी दोपहर 01:00 से 04:00 बजे तक आयोजित की गई थी।

03/ उपरोक्तानुसार जारी विज्ञापन एवं शुद्धि पत्रों के माध्यम से विज्ञापित पदों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

श्रेणीवार/वर्गवार कुल विज्ञापित							
क्र.	विवरण	UR	SC	ST	OBC	EWS	TOTAL
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या (TOTAL POST)	2	2	-	3	1	8
(ब)	अतिथि विद्वानों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (Reser. For Guest faculty)	1	1	-	1	-	3
(स)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या (FEMALE)	1	1	-	1	-	3
(द)	कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद रिक्तियों की संख्या (PH)	LD(OH)-1, HH-1					2

04/ अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रकाश में सामान्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 29 सितंबर 2022" के अनुक्रम में विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-32/2024/30.12.2024 के अनुसार आयोग द्वारा बैठक दिनांक 10.07.2023 के निर्णय क्र.-55 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुपालन में तथा विद्यमान नियमानुसार लघुसूचीकृत अर्ह अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है।

अर्हता सूची तैयार किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-

- सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त पत्रानुसार प्रारंभिक परीक्षा/लिखित परीक्षा में चयनित (शॉर्टलिस्टेड) प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थी परीक्षा के अगले प्रत्येक चरण (मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार) में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न कि पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।
- परीक्षा परिणामों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित) में अर्ह अभ्यर्थी अपने अपने भाग में ही बने रहेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन (इंटरचेंज) हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का अभिवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए।

अविस्त/.....

Hindu
1.9.2025

सामान्य प्रशासन विभाग के "पत्र क्रमांक-एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 29 सितंबर 2022" में दिए गए निर्देशों एवं आयोग के निर्णय अनुसार सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग में घोषित किया जाना है। सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 हेतु मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों) तथा (ब) प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु) के पदों का रिक्ति विवरण विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है। विज्ञापित पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	पद का नाम	अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विज्ञापित कुल पद	मुख्य भाग 87 प्रतिशत (14 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों)	प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13 प्रतिशत अनारक्षित श्रेणी हेतु)
01	सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024	3	2	1


उपरोक्तानुसार सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग-अ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से लघुसूचीकृत कुल-20 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-

M. K. Singh
1.9.2025


अविरत/.....

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (STATISTICS)- PART A (MAIN)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLLNO
1.	720002
2.	720003
3.	720016
4.	720018
5.	720032
6.	720033
7.	720054
8.	720057
9.	720066
10.	720067
11.	720071
12.	720074
13.	720078
14.	720084
15.	720087
16.	720094
17.	720100
18.	720101
19.	720108
20.	720112


1.9.2025

प्रावधिक भाग-ब के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना+समान अंक प्राप्त प्रावधिक रूप से साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत कुल-7 अभ्यर्थियों की अनुक्रमांकवार सूची निम्नानुसार है :-



Hinds
1.9.2025

अविरत /

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
ASSISTANT PROFESSOR EXAM 2024 (STATISTICS)- PART B (PROVISIONAL)
LIST OF CANDIDATES PROVISIONALLY SHORTLISTED FOR INTERVIEW

S.NO.	ROLLNO
1.	720027
2.	720029
3.	720038
4.	720048
5.	720063
6.	720073
7.	720103

Minds
1.9.2025

साक्षात्कार हेतु लिए अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

परिशिष्ट प्रपत्र-01

विज्ञापन क्रमांक:- 32/2024 दिनांक 30.12.2024	पद/परीक्षा का नाम : — सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024		
अनुक्रमांक-	अभ्यर्थी का नाम :-		
स.क्र.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न अभिलेख के पृष्ठ क्रमांक	संलग्नक के पृष्ठों की कुल संख्या
1.	उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
2.	उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
3.	उपस्थिति पत्रक-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
4.	व्यक्तिगत विवरण पत्रक-1 मूल प्रति एवं 5 छायाप्रतियां। (केवल मूल प्रति पर नम्बरिंग करना है। छायाप्रतियों पर नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
5.	अनुप्रमाणन फॉर्म-3 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
6.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा से विवर्जित (Debar) नहीं होने संबंधी) 01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
7.	हाई स्कूल की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
8.	हायर सेकेंडरी की अंकसूची। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
9.	अर्हता से संबंधित समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
10.	यू.जी.सी. नेट/मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
11.	प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
12.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र। (आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
13.	मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की प्रति। (प्रमाण-पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
14.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र। विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने की दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) (म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।) (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
15.	म.प्र. का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
16.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2024-2025 को वैध प्रमाण पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
17.	महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहोपरान्त उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति। (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
18.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति। अनापत्ति प्रमाण पत्रन हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करें।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
19.	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र-1 मूल प्रति।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
20.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/फोटोयुक्त बैंक पास बुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस) (छायाप्रति)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
21.	दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.04.2025 अथवा उसके पूर्व जारी) (छायाप्रति)।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
22.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक-4 कड़िका 16 एवं पृष्ठ क्रमांक 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रतियों में)	पृष्ठ क्र.-.....से तक
23.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
24.	अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है।	पृष्ठ क्र.-.....से तक
	कुल संलग्नक दस्तावेजों की संख्या (अर्कों में)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:-.....

05/ साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त दस्तावेज उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र-01 अनुसार क्रम में प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्टतः अंकित कर दिनांक 22.09.2025 तक आयोग कार्यालय प्रेषित करें। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग कार्यालय में विलंब से प्राप्त होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपने दस्तावेज आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जाएगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जांच करने के उपरांत सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।

06/ ऐसे आवेदक जिनके अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 22.09.2025 तक प्राप्त नहीं होते हैं वे आयोग द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित समयावधि में अपने अभिलेख आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विलंब शुल्क की नगद राशि एम.पी.टी.सी. 6 के माध्यम से आयोग की लेखा शाखा में जमा कर सकते हैं :-

01.	निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालयीन 05 दिवस तक राशि रुपये 3,000/- (तीन हजार मात्र)।	दिनांक 23.09.2025 से 29.09.2025 तक
02.	साक्षात्कार हेतु आमंत्रण पत्र जारी होने के दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)।	-

उपरोक्तानुसार विलंब शुल्क के साथ निर्धारित तिथि के पश्चात् डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए आवेदकों के अभिलेख प्राप्त होने पर आयोग की कोई जिम्मेदार नहीं होगा न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं। यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघुसूचीकृत किया गया है।
3. सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी।
4. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा परिणाम की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।
7. उपरोक्तानुसार जारी साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक SLP 8764/2023 एवं SLP 12398/2023 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
9. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई तकनीकी त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो आयोग के पास परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
11. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 22/09/2025 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें :-

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेंसी एरिया,

इंदौर

अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक (सांख्यिकी) परीक्षा-2024 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख अवश्य लिखें।


उप परीक्षा नियंत्रक